इकोनॉमिक कॉरिडोर का भूमिपूजन आज

▸ कनेक्टिविटी, निवेश और शहरी विकास को एक ही धुरी में जोड़ेगा कॉरिडोर

भोपाल, 2 मई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 3 मई को इंदौर में इन्दौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि-पूजन करेंगे. प्रदेश को सुदृढ़ औद्योगिक आधार और आदर्श निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह कॉरिडोर महत्वपूर्ण साबित होगा. कार्यक्रम में शॉर्ट फिल्म के माध्यम से कॉरिडोर के स्वरूप, संभावनाओं और क्षेत्रीय प्रभावों को दिखाया जाएगा.

यह कॉरिडोर इंदौर एयरपोर्ट के समीप स्थित सुपर कॉरिडोर को पीथमपुर निवेश क्षेत्र से जोड़ते हुए एक सुव्यवस्थित औद्योगिक धुरी के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसके माध्यम से न केवल औद्योगिक इकाइयों को बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी, बल्कि लॉजिस्टिक्स, परिवहन और बाजार तक पहुंच भी अधिक प्रभावी बनेगी. यह परियोजना इन्दौर क्षेत्र में विकसित हो रहे औद्योगिक क्लस्टर्स को एकीकृत कर निवेश के लिए एक संगठित और सक्षम वातावरण तैयार करेगी. कॉरिडोर के माध्यम से पीथमपुर निवेश क्षेत्र, लॉजिस्टिक हब, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को एकीकृत कनेक्टिविटी प्राप्त होगी. इससे उत्पादन और वितरण तंत्र अधिक प्रभावी बनेगा और उद्योगों के लिए संचालन की प्रक्रिया सरल होगी. यह परियोजना प्रदेश में निवेश प्रवाह को सुदृढ़ करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगी.

▸ परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

परियोजना के अंतर्गत सुपर कॉरिडोर से पीथमपुर निवेश क्षेत्र तक लगभग 20.28 किलोमीटर लंबाई का मार्ग विकसित किया जा रहा है. लगभग 1316 हेक्टेयर क्षेत्र में नियोजित विकास का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए कुल 2360 करोड़ रु. की लागत निर्धारित की गई है. अधोसंरचना के तहत 75 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क तथा उसके दोनों ओर विकसित होने वाला बफर ज़ोन इस कॉरिडोर को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तार योग्य बनाएगा. यह कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग-47 और राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के बीच प्रभावी कनेक्टिविटी स्थापित करते हुए औद्योगिक परिवहन को अधिक सुगम और समयबद्ध बनाएगा. साथ ही, यह परियोजना इन्दौर क्षेत्र में संतुलित शहरीकरण और अधोसंरचना आधारित विकास को नई दिशा प्रदान करेगी.

देवर्षि नारद जयंती व सम्मान समारोह 11 को

भोपाल, 2 मई. विश्व संवाद केंद्र, मप्र द्वारा पत्रकारिता जगत के प्रतिष्ठित आयोजन देवर्षि नारद जयंती समारोह का आयोजन सोमवार 11 मई को किया जा रहा है. यह कार्यक्रम भोपाल के लिंक रोड नं. 3 स्थित कुक्कुट विकास निगम सभागार (मैनिट चौराहा के पास) में प्रात: 11:30 बजे से प्रारंभ होगा. समारोह के दौरान एक विशेष परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसका विषय संघ की 100 वर्षों की यात्रा एवं मीडिया रखा गया है. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रांत संघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मध्य भारत प्रांत अशोक पांडे उपस्थित रहेंगे. वहीं, मुख्य वक्ता के तौर पर संपादकीय सलाहकार, दूरदर्शन, नई दिल्ली प्रखर श्रीवास्तव अपने विचार साझा करेंगे. इस अवसर पर उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए चयनित पत्रकारों को सम्मानित भी किया जाएगा.

रायसेन में लाड़ली लक्ष्मी उत्सव में निकाली रैली

रायसेन. मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत शनिवार को रायसेन में जिला स्तरीय लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया. जिसके तहत लाड़ली लक्ष्मी वाटिका में लाडली बालिकाओं द्वारा पौधारोपण किया गया और रैली भी निकाली गई. तत्पश्चात जिला पंचायत के सभा कक्ष में लाडली लक्ष्मी योजना उत्सव का आयोजन किया गया, जहां उत्कृष्ट क्षेत्रों में बालिकाओं को सम्मानित किया गया एवं नवीन पंजीयन बालिकाओं को आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदाय किए गए.

भारतीय स्टेट बैंक शाखा होम लोन सेन्टर-2 (सार्क विंग) | एचएलसी-2, भूतल, चिनार इनक्यूब, होशंगाबाद रोड, आशिमा मॉल के सामने, भोपाल (म.प्र.) फोन नं. 0755-2983018

आधिपत्य नोटिस (स्थावर सम्पत्ति) [13(4)]

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन के प्रतिभूति-हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002 के अंतर्गत एवं धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित ऋणी एवं जमानतदारों को मांग सूचना निम्नलिखित दिनांक के अनुसार जारी किया। इस नोटिस की पावती की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने केलिये कहा गया था।
ऋणी/जमानतदारों द्वारा उक्त राशि के भुगतान नहीं करने पर ऋणी/जमानतदारों को और आम जनता को एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उपरोक्त कथित एक्ट धारा 13(4) सहपठित उक्त कथित नियम (8) के अधीन, निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने निम्नवर्णित सम्पति को उनके सामने दर्शाये गये दिनांक को कब्जे में लिया है। ऋणी/जमानतदारों को विशेष रूप से आम जनता को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति बाबत् कोई व्यवहार नहीं करें और इस सम्पत्ति के बाबत् किए गये कोई भी व्यवहार **भारतीय स्टेट बैंक, शाखा एचएलसी-2, होशंगाबाद रोड, भोपाल** को देय ब्याज एवं खर्चो के अध्यधीन प्रभार (Charge) होगा। इस बावत, ऋणी/जमानतदारों का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को उपलब्ध समय में छुड़ाने (Redeem करने) के संबंध में अधिनियम की धारा 13 एवं उपधारा 8 के प्रावधानों के तहत आकर्षित किया जाता है।

बकायादार का नाम	60 दिवस मांग सूचना दिनांक	नोटिस राशि राशि रू.	बंधक सम्पत्ति का विवरण एवं भवन/प्लॉट की सीमाएँ/स्थिति
(1) श्री नीरज कुमार वर्मा पुत्र श्री श्री किशन, (2) श्रीमती राम कुमारी पत्नी श्री श्री किशन, (3) श्री श्री किशन पुत्र बाल देव प्रसाद फ्लैट नंबर 111 प्रथम तल ब्लॉक नंबर 05, जीत होम्स, ग्राम-हताई खेड़ा, तहसील- हुजूर, भोपाल-462022, म.प्र	**30/01/2026** कब्जा दिनांक **29/04/2026**	1) HL- 38900127321 **Rs. 10,66,476.00** 2) HL Top-up - 38900132488 **Rs. 7,47,561.00** + देय ब्याज व अन्य खर्च	फ्लैट नंबर 111, पहली मंजिल, ब्लॉक नंबर 05, जीत होम्स, गांव- हटाई खेड़ा, तहसील-हुजूर, भोपाल- 462022, मध्य प्रदेश में स्थित आवासीय मकान।, क्षेत्रफलः 712 वर्गफिट, सीमाएँः पूर्व दिशा - फ्लैट संख्या 112, पश्चिम दिशा - फ्लैट संख्या 110, उत्तर दिशा - खुला क्षेत्र, दक्षिण दिशा - फ्लैट संख्या 102, श्री नीरज कुमार वर्मा, पुत्र श्री किशन और श्रीमती राम कुमारी, पत्नी श्री किशन और श्री किशन पुत्र बाल देव प्रसाद के नाम पर।

दिनांक : 02.05.2026 **प्राधिकृत अधिकारी**

उपान्यास 'अंतिम समय का सच' का लोकार्पण

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 2 मई. वही पत्रिका दीर्घजीवी और सफल होती है, जो स्वावलंबन के साथ साहित्य की सभी विधाओं को निष्पक्ष स्थान देती है. यह बात वरिष्ठ साहित्यकार अश्विनी दुबे ने पुस्तक के लोकार्पण के दौरान कही. शनिवार को न्यू भूमिका साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में चंद्रभान राही द्वारा लिखित उपन्यास अंतिम समय का सच और त्रैमासिक पत्रिका अमृत दर्पण का किया गया.

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. सुरेश मिश्रा ने अमृत दर्पण पत्रिका को देशभर के रचनाकारों के लिए एक सशक्त मंच बताया और उपन्यास को पठनीय कृति कहा. वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में संध्या सिलावट शामिल हुई. इस अवसर पर समारोह में साहित्य और समकालीन मुद्दों पर चर्चा भी हुई. कार्यक्रम में चंद्रभान राही के उपन्यास को मानवीय संवेदनाओं का जीवंत दस्तावेज बताया. वहीं लेखक चंद्रभान राही ने अपने उपन्यास के बारे में बताते हुए कहा कि यह कृति जीवन के अंतिम पड़ाव में व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक संघर्ष और भावनात्मक द्वंद्व को सामने लाती है. तो कार्यक्रम में शामिल प्रख्यात समीक्षक इकबाल मसूद ने पुस्तक को समाज का आईना बताते हुए इसकी शिल्प और विषयवस्तु की सराहना की.

कार्यक्रम का संचालन डॉ. आजम ने किया जबकि अंत में संस्था के अध्यक्ष रमेश श्रीवास्तव ने आभार व्यक्त किया. कार्यक्रम का संचालन डॉ. आजम ने किया जबकि अंत में संस्था के अध्यक्ष रमेश श्रीवास्तव ने आभार व्यक्त किया. साथ ही शहर के अनेक साहित्यकार और नागरिक मौजूद रहे.

कलेक्टर ने की जनगणना कार्य की समीक्षा

रायसेन, 2 मई. कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा द्वारा शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनगणना कार्य की समीक्षा की गई. उन्होंने एसडीएम और चार्ज अधिकारियों से क्षेत्रवार प्रगति की जानकारी ली. बैठक में जानकारी दी गई कि सभी प्रगणक द्वारा अपने आवंटित ब्लॉक का नजरी नक्शा तैयार कर जनगणना भवनो एवं जनगणना मकान की नंबरिंग कर ली गई है और एप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है. कलेक्टर श्री विश्वकर्मा द्वारा अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण कर कार्य निरीक्षण के निर्देश दिए गए. बैठक में जिला पंचायत सीईओ कमल सोलंकी, अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय आदि उपस्थित थे.

नाम परिवर्तन

मैं, राजपूत रामलाल बाबूलाल, निवासी फ्लैट नं जी-02, शिखर मुस्कान कॉम्प्लेक्स, कैलाश नगर, बैरागढ़, तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्यप्रदेश, कथन करता हूं कि मैं सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत था, जो कि दिनांक 30. 11.2007 को सेना से सेवानिवृत्त (रिटायर) हो चुका हूं मेरे आर्मी पी.पी.ओ. (P.P.O.) के नॉमिनी के दस्तावेज में उस समय मेरी पत्नि का नाम नीता देवी (Neeta Devi) दर्ज कराया था, अब जिसके स्थान पर नीता राजपूत (Neeta Rajput) दर्ज करवाना हैं। दिनांक 01.05.2026.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल
माखनपुरम परिसर, मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, बिशनखेड़ी, भोपाल-462044

प्रवेश सूचना 2026-27

विश्वविद्यालय के भोपाल एवं रीवा परिसरों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में संचालित होने वाले पत्रकारिता, जनसंचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रसारण पत्रकारिता, विज्ञापन एवं जनसंपर्क, नवीन मीडिया, डिजिटल पत्रकारिता, फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया शोध, एआई ड्रिवन मीडिया, मीडिया व्यवसाय प्रबंधन, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स एवं ऐनिमेशन, वाणिज्य, ई-कॉमर्स, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, हिन्दी भाषा एवं अनुवाद तथा इंग्लिश जर्नलिज्म के स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। आवेदन **16 जून 2026 की मध्यरात्रि तक** किए जा सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए विजिट करें - www.mcu.ac.in

ऑनलाइन आवेदन के लिए विजिट करें - https://mcrpv.mponline.gov.in/portal/

म.प्र. माध्यम/125477/2026 **कुलसचिव**

पश्चिम मध्य रेल
मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय
टीआरडी शाखा भोपाल
सं. भोपाल/टीआरडी/ड्राइंग/डब्ल्यू.सी./469 दिनांक 30/04/2026

खुली ई-निविदा सूचना

वरि. मंडल विद्युत इंजी./टीआरडी/पश्चिम मध्य रेल, भोपाल, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए उनके समक्ष दर्शाई गई दिनांक को 11.00 बजे तक ई-टेण्डर आमंत्रित करते है। संपूर्ण निविदा प्रपत्र तथा निविदा से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी वेबसाईट http:// www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है, इस टेन्डर के लिये कोई मैंन्युअल ऑफर मान्य नही है। इस निविदा में कोई आवश्यक संशोधन, यदि जरूरी हो, तो निविदा खुलने के पूर्व वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा। जिसे टेण्डर खुलने के दिन तक देखा जा सकता है। **निविदा क्र.:** बीपीएल/टीआरडी/डीआरजी/डब्ल्यू सी/469 **कार्य का विवरणः** रिप्लेसमेंट ऑफ वेरियर्स टाइप ऑफ बैटरी सेट एंड चार्जर फॉर टीएसएस/एसपी/ एसएसपी ओवर भोपाल डिवीजन। **कार्य समाप्त करने की अवधिः 06 माह। अनुमानित लागत रू. 67,91,216.93 ईएमडी रू. में** 1,35,800.00 **जमा करने की अंतिम तारीख एवं समयः** 25/05/2026 को 11.00 बजे तक।

वरि.मंडल विद्युत इंजीनियर टीआरडी/भोपाल
015/2026

खान-पान से संबंधित शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर 1800111321 पर सम्पर्क करें।

तुलाई नहीं होने पर किसानों ने किया चक्काजाम

सलामतपुर, 2 मई. समर्थन मूल्य पर गेहूं तुलाई नहीं होने से नाराज किसानों ने शनिवार को भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे-18 सलामतपुर के रेलवे ओवरब्रिज के पास चक्काजाम कर दिया. किसानों के प्रदर्शन के चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई. चक्काजाम की सूचना मिलते ही सलामतपुर थाने से पुलिस बल, सांची नायब तहसीलदार ललित सक्सेना मौके पर पहुंचे तथा किसानों को समझाइश देकर चक्काजाम समाप्त कराया. उन्होंने केंद्र प्रभारी को प्रतिदिन 25 ट्रालियां तोलने के निर्देश दिए हैं. काफी देर तक चले प्रदर्शन के कारण हाईवे पर लगभग दो घंटे तक आवागमन बाधित रहा.

श्रीराम-जानकी प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ शुरू

बैरसिया, 2 मई. ग्राम जूनापानी में आयोजित सात दिवसीय श्री राम-जानकी प्राण-प्रतिष्ठा महायज्ञ एवं राम कथा का शनिवार को भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ. जहा वैदिक मंत्रोच्चारण और 101 कलश पूजन के साथ यात्रा यज्ञ स्थल पहुंची. यज्ञाचार्य पंडित राधेश्याम शास्त्री ने बताया कि यज्ञ में हवन, पूजन और परिक्रमा करने से श्रद्धालुओं के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं. क्षेत्र में सुख-समृद्धि बनी रहती है. ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जनकल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है. महायज्ञ की 8 मई को पूर्णाहुति होगी.

पश्चिम मध्य रेल
मंडल रेल प्रबंधक (सिगनल एवं दूरसंचार)

ई-निविदा सूचना

मंडल रेल प्रबंधक (सिगनल एवं दूरसंचार) पश्चिम मध्य रेल, भोपाल भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा उनके लिये कार्य करते हुये निम्न कार्यो हेतु ई-निविदा आमंत्रित करते है। इन टेन्डर्स के तहत मैनुअल प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे एवं ऐसे प्राप्त कोई भी मैनुअल प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा से संबंधित दस्तावेज वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड कर दिये गये हैं। **निविदा सूचना एवं क्रमांकः** बीपीएलएनवर्क्स 2026-27 सिगनल 01 **कार्य का नामः** भोपाल डिवीजनः प्रोविजन ऑफ डिस्ट्रिब्यूटेड EI इन लिउ ऑफ एक्सिस्टिंग RRI अलोंग विथ प्रोविजन ऑफ MSDAC इन पैरेलल विथ DC ट्रैक सर्किट्स एट रानी कमलापति स्टेशन। **कार्य की अनुमानित लागतः** रू. 22,83,52,330.81 **निविदा फार्म की कीमत (non refundable):** लागू नहीं। **जमा की जाने वाली बयाना राशिः** रू. 45,67,100.00 **कार्य समापन की अवधीः** 12 माह। **निविदा जमा करने एवं खोलने की दिनांक एवं समयः** दिनांक 25/05/2026 को 15.00 बजे तक दिनांक 25/05/2026 को 15.30 बजे। निविदाकर्ता/बिडर्स के पास क्लास III डीजीटल सिगनेचर सर्टिफिकेट होना आवश्यक है एवं IREPS पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिये। केवल पंजीकृत निविदाकर्ता/बिडर्स ही ई-टेंडरिंग में भाग ले सकते हैं। ई-टेंडरिंग के दौरान ही सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। पेमेन्ट गेटवे के द्वारा ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। निविदा दस्तावेज की कीमत, बयाना राशि आदि का भुगतान ऑनलाइन मल्टीपल नेटबैंकिंग, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड द्वारा किया जा सकता है।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (सिगनल एवं दूरसंचार) भोपाल
016/2026

खान-पान से संबंधित शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर 1800111321 पर सम्पर्क करें।

पश्चिम मध्य रेल

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी.जी.-एम.पी.-अ.-28042026-272115
असाधारण
भाग II-खण्ड3-उप-खण्ड(ii)
प्राधिकर से प्रकाशित

सं. 2029] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 25, 2026/वैशाख 5, 1948

रेल मंत्रालय
[पश्चिम मध्य रेलवे (गति शक्ति यूनिट)]
अधिसूचना
भोपाल, 18 मार्च, 2026

का.आ. 2102(अ),- केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (संशोधित अधिनियम 2008) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20(क) की उप धारा(1) के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम मध्य रेल्वे गति शक्ति यूनिट भोपाल) की अधिसूचना संख्या-4701, दिनांक 24 अक्टूबर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम मध्य रेल्वे गति शक्ति यूनिट भोपाल) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि को मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में समपार फाटक संख्या 262 के बदले रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की गई थी। और, उक्त अधिनियम की धारा 20(क) की उप धारा(4) के अधीन स्थानीय समाचार पत्रों में से हिन्दी भाषा के समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 07/11/2025 को तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र टाईम्स ऑफ इंडिया में दिनांक 07/11/2025 को प्रकाशित किया गया है। और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति का कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। रेल मंत्रालय, पश्चिम मध्य रेल्वे (गति शक्ति यूनिट भोपाल) की अधिसूचना दिनांक 6 फरवरी 2025 से केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (रेल संशोधित अधिनियम 2008) की उप-धारा 2 के खण्ड 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन तारीख 22 मई 2025 से अनुविभागीय अधिकारी रायसेन जिला रायसेन को जिले में विशेष रेल परियोजना भोपाल-बीना खंड में रेलवे समपार फाटक क्रमांक 262 के बदले ऊपरी पुल का निर्माण कार्य परियोजना के लिये सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है। अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 की धारा 20(ड) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित कराने का विनिश्चय किया गया। और यह कि केन्दीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमो से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में पूर्णतया निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में समपार फाटक संख्या 262 के बदले रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्रामः सुडियाखेडा, प.ह.न.06, तहसीलः रायसेन, उप-खण्ड-साँची, जिलाःरायसेन

क्रम सं.	भूमि का स्वामी	खसरा संख्या	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा	भूमि-कृषि/पडत/व्यपवर्तित	भूमि सिंचित/असिंचित
1	रजनी पांडेय बेबा विनोद पांडेय, सुधांशु पांडेय पुत्र विनोद पांडेय, सुमन पांडेय पुत्री विनोद पांडेय	36/2/2	0.607	0.033	कृषि भूमि	सिंचित
2.	गिरजा पाण्डे आ. जमना पाण्डे	36/2/1	0.700	0.041	कृषि भूमि	सिंचित
3.	सुनील पाण्डे, सुशील पाण्डे पुत्रगण शिवचरण उर्फ शिववचन जाति-पांडे	36/2/3	1.214	0.072	कृषि भूमि	सिंचित
4.	शमीम रइस पुत्र रइस वारिस	36/1/1/1/1/2	1.214	0.031	व्यपवर्तित	सिंचित
5	चेनसिंह, हल्कू उर्फ कमर सिंह, मलखान सिंह, घनश्याम पुत्रगण भवानी	36/1/5	0.914	0.056	कृषि भूमि	सिचिंत
6.	राधाबाई हि. 0.099, सुशीला बाई, सुनीता बाई हि.0.48, आ.मनीराम	36/1/6/1	0.309	0.017	कृषि भूमि	सिचिंत
7.	चैनसिंह पुत्र भवानी प्रसाद अहिरवार	36/1/6/2	0.303	0.017	कृषि भूमि	सिचिंत
8.	घनश्याम पुत्र भवानी प्रसाद अहिरवार	36/1/6/3	0.303	0.016	कृषि भूमि	सिचिंत
9.	चैनसिंह, हल्कू (कमर सिंह), मलखान सिंह, घनश्याम पुत्रगण भवानी	36/1/7	0.918	0.053	कृषि भूमि	सिचिंत
10	मेहराज खां पिता सुलेमान खां नि. वाखेड़ा हुजूर	67/1/1	0.425	0.021	कृषि भूमि	सिचिंत
11	शीलादेवी पत्नि ऊधव सिंह ठाकुर	67/1/2/1	2.388	0.155	कृषि भूमि	सिचिंत
12	शीलादेवी पत्नि ऊधव सिंह ठाकुर	68	0.125	0.014	कृषि भूमि	सिचिंत
13	विपुल रावत पुत्र नरेन्द्र कुमार रावत	36/1/2	1.376	0.001	कृषि भूमि	सिचिंत
14	विपुल रावत पुत्र नरेन्द्र कुमार रावत	36/1/3	1.376	0.001	कृषि भूमि	सिचिंत
	कुल भूमि रकवा-		12.172 हे.	0.528 हे.		

[फा.सं. WCR-BPL-0 GSU (GSMS)/03/2026/262/02]
अनुपम अवस्थी, मुख्य परियोजना प्रबंधक/गति शक्ति
017/2026

खान-पान से संबंधित शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर 1800111321 पर सम्पर्क करें।

तोमर ने जनसुनवाई में किया समस्याओं का निराकरण

▸ नशामुक्त समाज बनाने का लें संकल्प

▸ आयुष्मानकार्ड बनाने के दिए निर्देश

भोपाल, 2 मई. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शनिवार को अपने ग्वालियर रेसकोर्स रोड स्थित सरकारी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान समस्याओं का निराकरण किया. उन्होंने कहा कि हर जरुरतमंद के चेहरे पर खुशहाली लाना प्रदेश सरकार का संकल्प है. इसकी पूर्ति के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे.

उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुए समस्याओं का समाधान निर्धारित समय सीमा में करने की बात कही. तोमर ने जन सुनवाई में आई जरुरतमंद महिलाओं को तत्काल राशन दिलाने के साथ ही वृद्धजनों की वृद्धावस्था पेंशन तथा मुफ्त इलाज हेतु आयुष्मान कार्ड बनवाने के निर्देश भी दिए. तोमर ने आह्वान किया कि हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे और एक नया स्वस्थ, हरा-भरा, नशा मुक्त समाज बनाएंगे. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास की दिशा में यह कदम स्वच्छता, सुरक्षित जल और बेहतर जीवन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ग्वालियर सांस्कृतिक, औद्योगिक और पर्यटन केन्द्र के रुप में विकसित हो रहा है. बीते कुछ समय में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के साथ-साथ पर्यावरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया गया है.

ऑल इंडिया मुशायरे में जुटे देशभर के शायर

▸ गजल संग्रह 'एक सौ सोलह चांद की रातें' का विमोचन

निज संवाददाता

भोपाल, 2 मई. भोपाल लिबरेट लाइफ के तत्वावधान में शनिवार शाम को दुष्यंत संग्रहालय में गजल संग्रह 'एक सौ सोलह चांद की रातें' का विमोचन एवं ऑल इंडिया मुशायरा आयोजित किया गया.

मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रहे, जबकि अध्यक्षता मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस शमीम अहमद ने की. कार्यक्रम में देशभर के प्रसिद्ध शायरों और कलाकारों ने भाग लिया, जिनमें मंजर भोपाली, शकील आज़मी, तनवीर गाज़ी सहित कई नामचीन शख्सियतें शामिल रहीं. मंच संचालन और आयोजन में मानसी बाबरा, सवाना सम, मेहताब आलम और शेफाली पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही. लेखक विजय सिंह भदौरिया ने अपनी पुस्तक के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह संग्रह समाज में फैली बुराइयों, ऊंच-नीच और असमानता को उजागर करता है. उन्होंने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी समाज में भेदभाव और अमीरी-गरीबी की खाई बनी हुई है, जिसे खत्म करने की जरूरत है. पुस्तक के माध्यम से उन्होंने प्रेम, समानता और सामाजिक सुधार का संदेश देने का प्रयास किया है.

मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पुलिस सेवा में रहते हुए इस प्रकार की रचनात्मक साधना करना सराहनीय है. उन्होंने कहा कि यह रचनाएं समाज को दिशा देने का कार्य करेंगी और लोगों में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होंगी.

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
''मिनी रत्न कम्पनी''
(कोल इंडिया लिमिटेड का एक उपक्रम)

क्र. एसईसीएल/जको/नोअ(भू/रा.)/2026/5019 **सूचना** दिनांक 22.04.2026

साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के जमुना कोतमा क्षेत्रान्तर्गत आमाडांड खुली खदान परियोजना से प्रभावित **ग्राम आमाडांड** के समस्त भू स्वामियों को सूचित किया जाता है कि **ग्राम आमाडांड** की अधिग्रहीत भूमि के एवज में **माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर** द्वारा रिट याचिका क्रमांक 7968/09 में दिनांक 25.01.2018 को पारित आदेश के परिपालन में कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 एवं एसईसीएल माडलटीज के तहत घटते क्रम में रोजगार प्रस्ताव वांछित दस्तावेजों के साथ, पात्रता निर्धारण हेतु **01 (ओमप्रकाश पिता गेंदलाल कुम्हार सा. देह)** का आवेदन प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव को एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर की ओर रोजगार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है। जिन आवेदनों की जांच कर रोजगार प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही उसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	भूमि दस्तावेजों के अनुसार भू स्वामी का नाम एवं पिता का नाम: एवार्ड के अनुसार	बी-1 के अनुसार	खसरा के अनुसार	ग्राम का नाम	डी ओ एल नं.	अर्जित खसरा नं.	कुल अर्जित भूमि: हे. में	एकड़ में	आधार कार्ड/शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के अनुसार रोजगार हेतु नामित व्यक्ति का नाम पिता का नाम एवं एवार्डधारी से संबंध तथा जन्मतिथि	आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार रोजगार हेतु नामित आश्रित का नाम एवं पिता का नाम एवं जन्मतिथि	अन्य (विभिन्न दस्तावेजों में नाम विसंगति एवं अन्य)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ओमप्रकाश पिता गेंदलाल कुम्हार सा. देह	ओमप्रकाश पिता गेंदलाल जाति कुम्हार पता आमाडांड कोतमा अनूपपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	ओमप्रकाश पिता गेंदलाल जाति कुम्हार पता आमाडांड कोतमा अनूपपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	आमाडांड	98	78, 1107/2	0.471	1.16	द्रोपति प्रजापति पति ओमप्रकाश, जाति - कुम्हार, (गैर आदिवासी), संबंध - पत्नी, जन्मतिथि - 01.01.1987 (आधार कार्ड के अनुसार), शिक्षा - अनपढ़, आधार कार्ड नं. - 9813 4798 1687	द्रोपति प्रजापति पति ओमप्रकाश, जाति - कुम्हार, (गैर आदिवासी),	ओमप्रकाश का नाम ओमप्रकाश प्रजापति, ओमप्रकाश कुम्हार लिखा है, प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार सही नाम ओमप्रकाश प्रजापति है। गेंदलाल कुम्हार का नाम गेंदलाल प्रजापति, गेंदलाल, स्व. गेद लाल कुम्हार लिखा, प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार सही नाम गेंदलाल है। द्रोपति प्रजापति का नाम द्रोपदी, द्रोपति प्रजापति लिखा है, प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार सही नाम द्रोपति प्रजापति है।

उपरोक्त जानकारी के बाबत् यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में वैध दस्तावेजों के साथ प्रकाशन तिथि के सात दिनों के अन्दर आपत्ति दर्ज कर सकते है। इसके उपरान्त प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

SECL:26-27:25 **नोडल अधिकारी (भू-राजस्व), जमुना कोतमा क्षेत्र**